क्रम संख्या-35

रजिस्ट्रेशन नम्बर एस०एस०पी०/एल०
डब्लू0/एन०पी०-91/2014-16
लाइसेंस टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गिट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशशत

असाधारण

ववधायी पररशशष्ट

भाग-4. खण्ड (क) (सामान्य पररननयम ननयम)

लखनऊ, शुक्रवार, 8 फरवरी, 2019

माघ 19. 1940 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन आबकारी

अनुभाग-2

संख्या 324ई-2/तेरह-2019-106-2014 टी०सी०

लखनऊ, 8 फरवरी, 2019

अधधसूचना

सा०प०नि०- 7

संयुक्त प्राप्त आबकारी अधधननयम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधधननयम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 40 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (१) के अधीन शजक्तयों का प्रयोग करके राज्यपाल, औषधीय और प्रसाधन ननशमिनतयों के प्रयोिनाथि अववकृत जस्ट्प्रट, भांग तथा अन्य उत्पाद शुल्क योग्य पदाथों को कब्िा में रखने को ववननयशमत करने की दृजष्ट से ननम्नशलखखत ननयमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश औषधीय और प्रसाधन ननशमिनतयों के प्रयोिनाथि अववकृत जस्ट्प्रट, भांग तथा अन्य उत्पाद शुल्क योग्य पदाथों को कब्िा में रखने हेतु लाइसेंस ननयमावली, 2019

1-(1) यह ननयमावली उत्तर प्रदेश औषधीय और प्रसाधन ननशमिनतयों के प्रयोिनाथि अववकृत जस्ट्प्रट, भांग तथा अन्य उत्पाद शुल्क योग्य पदाथों को कब्िा में रखने हेतु लाइसेंस ननयमावली, 2019 कही िायेगी। (2) यह गिट में प्रकाशशत ककये िाने के ठदनांक से प्रवृत्त होगी।	संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
2-िब तक ववषय या संदभि से कोई प्रनतकूल बात न हो. इस ननयमावली में -	पररभाषायें

(क) "अधधननयम" का तात्पयि संयुक्त प्रान्त आबकारी अधधननयम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधधननयम संख्या 4 सन् 1910) से है;

(ख) "भांग" का तात्पयि नर अथवा मादा भांग पौधे, जिसकी खेती की गयी हो अथवा न की गई हो, की सूखी पवत्तयों तथा छोटे डंिलों से है;

(ग) "आबकारी आयुक्त" का तात्पयि ऐसे अधधकारी से है िो उक्त अधधननयम की धारा 10 की उप धारा (2) के खण्ड (क) के अधीन राज्य सरकार द्वारा ननयुक्त ककया गया हो;

(घ) "औषधीय ननशमिनतयां" का तात्पयि औषधीय और प्रसाधन सामग्री अधधननयम, 1940 के अधीन यथा पररभावषत औषधध से है;

(ड.) "प्रसाधन ननशमिनतयां" का तात्पयि औषधध और प्रसाधन सामग्री अधधननयम, 1940 के अधीन यथा पररभावषत प्रसाधन सामग्री से है;
(च) "अववकृत जस्ट्प्रट" का तात्पयि ऐसी जस्ट्प्रंट से है जिसकी तीव्रता 91.27 प्रनतशत वी/वी से कम न हो और िो राज्य सरकार द्वारा अधधसूचना के माध्यम से ववठहत रीनत के अनुसार मानव उपभोग हेतु अनुपयुक्त नहीं बनायी गयी हो और िो मात्र िल शमश्रण के पश्चात साधारणतया मादक पेय के रूप में उपभोग योग्य हो और जिसमें एब्सोल्यूट एल्कोहल, एक्सरा न्यूरल एल्कोहल और रेजक्टफाइड जस्ट्प्रंट सजम्मशलत है। औषधीय ननशमिनतयों में स्ट्विननतअल्कोहल, िो 1.2 प्रनतशत वी०/वी० से अधधक हो. भी इस ननयमावली के प्रयोिनाथि अववकृत जस्ट्प्रट माना िायेगा।
लाइसेन्स 3-(1) औषधीय एवं प्रसाधन ननशमिनतयों के ववननमाणि हेतु अववकृत जस्ट्प्रट भांग तथा अन्य उत्पाद शुल्क योग्य पदाथों को कब्िे में रखने के शलये लाइसेंस, इस ननयमावली से संलग्न प्रपत्र वव०म०-49 में स्ट्वीकृत ककये िा सकते हैं। प्रपत्र वव०म०-49 में लाइसेंस, सामान्यतया संपूणि प्रत्येक तीन क्रशमक ववत्तीय वषों अथवा उसके आंशशक भाग के शलये ववधधमान्य होगा जिसके शलये यह स्ट्वीकृत अथवा नवीकृत ककया िायेगा। लाइसेंस धारक, लाइसेंस की ननबन्धन और शतों का अनुपालन करने और आबकारी आयुक्त द्वारा इस ननशमत्त समय-समय पर िारी आदेशों तथा अनुदेशों का अनुसरण करने के शलए बाध्य होगा।
(2) अववकृत जस्ट्प्रट, स्ट्विननत अल्कोहल और भांग पर लाइसेस फीस, ऐसी दर, जिसे समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा ननधािररत ककया िाय, पर उग्रहणीय होगी। लाइसेंस फीस, लाइसेंसधारी द्वारा आसवनी से अववकृत जस्ट्प्रंट की ननकासी लेते समय, समुधचत लेखाशीषिक के अधीन रािकीय कोषागार में िमा की िायेगी। स्ट्विननत अल्कोहल वाले औषधीय ननशमिनतयों के मामले में इसे बोतलों में भराई के पूवि लाइसेंसधारी द्वारा िमा ककया िायेगा। भांग पर लाइसेंस शुल्क, लाइसेंसधारी द्वारा बंधधत भाण्डागार से इसकी ननकासी लेने के पूवि िमा ककया िायेगा।
(3) प्रपत्र वव०म०-49 में लाइसेंस, रु0 5000 के संदाय पर ककसी ववत्तीय वषि अथवा उसके आंशशक भाग के शलये आबकारी आयुक्त द्वारा ऐसी अनुमोठदत आयुवेठदक, यूनानी, एलोपैधथक और होशमयोपैधथक औषधीय और/अथवा प्रसाधन ननशमिनतयों, जिनमें अल्कोहल अधवा मांग और/अथवा अन्य उत्पाद शुल्क योग्य पदाथि आवश्यक अवयव अन्तवविष्ट होता है-अथवा जिनमें स्ट्विननत अल्कोहल अन्तवविष्ट होता है, की लाइसेंस प्राप्त ववननमािता इकाइ यों के पि में स्ट्वीकृत अथवा नवीकृत ककये िायेंगे।
(4) औषधीय अथवा प्रसाधन ननशमिनतयों की ककसी ववननमाणिकताि इकाई के पि में प्रपत्र वव०म०-49 में कोई लाइसेंस तब तक स्ट्वीकृत अथवा नवीकृत नहीं ककया िायेगा िब तक वह औषधध और प्रसाधन सामग्री अधधननयम, 1940 के अधीन ववधधमान्य एवं अपेक्षित ववननमाणि लाइसेंस धाररत न कर ले।(5) वव०म०-49 लाइसेंस की स्ट्वीकृनत अथवा नवीकरण हेतु प्रत्येक आवेदन इस ननयमावली से संलग्न प्रपत्र वव०म०-48 में संबंधधत जिला के जिला आबकारी अधधकारी के माध्यम से आबकारी आयुक्त को प्रस्ट्तुत ककया िायेगा। आवेदन की प्राजप्त पर, आबकारी आयुक्त, ऐसी अग्रतर िांचें कर सकता है िैसा कक आवश्यक समझा िाय। यठद आवेदक इकाई लाइसेंस की स्ट्वीकृनत अथवा नवीकरण हेतु उपयुक्त पायी िाती है, तब आबकारी आयुक्त को उक्त लाइसेंस स्ट्वीकृत अथवा नवीकृत करना होगा।
(6) (क) प्रत्येक लाइसेंसधारी को लाइसेंस प्राप्त पररसर में अववकृत जस्ट्प्रट तथा भांग के भण्डारण हेतु एक पृथक कि रखना होगा:
(ख) अववकृत जस्ट्प्रट के भण्डारण हेतु सभी टंककयों तथा पात्रों की शुद्धतापूविक माप की िायेगी तथा उनमें समुधचत डडवपंग रॉड लगाये िाने चाठहये। गेि चाटि की प्रत्येक 1 सेन्टीमीटर और 2 शमलीमीटर की गहराई की अंतविस्ट्तुओं को दशािने के शलये संगणना की िायेगी। गेि चाटि, आबकारी आयुक्त द्वारा इस प्रयोिन हेतु प्राधधकृत अधधकारी द्वारा अनुमोठदत ककया िायेगा;
(ग) अववकृत जस्ट्प्रट, जस्ट्प्रट कि में एक या अधधक टंककयों अथवा पात्रों में रखी िायेगी तथा प्रत्येक संव्यवहार के पश्चात् इनकी डडप, संबंधधत डडप पुजस्ट्तकाओं में अशभशलखखत की िायेगी;
(घ) कोई जस्ट्प्रट अथवा भाग, औषधीय अथवा प्रसाधन ननशमिनत के ववननमाणि के शसवाय, भण्डारण कि से नहीं हटायी िायेगी। जस्ट्प्रट और भांग का स्ट्टॉक रजिस्ट्टर, लाइसेंसधारी द्वारा अनुरक्षित ककया िाएगा, (ङ) भण्डार कि से औषधीय अथवा प्रसाधन ननशमिनत के ववननमाणि हेतु हटायी गयी अववकृत जस्ट्पट अथवा भांग की गात्रा को स्ट्टॉक रजिस्ट्टर, िैसा कक आबकारी आयुक्त द्वारा ववठहत ककया िाये, में प्रववष्ट ककया िायेगा और अववकृत जस्ट्पट के मामले में संव्यवहरण के पश्चात भण्डारण टंकी की शुद्ध रूप में डडप संबंधधत डडप

पुजस्ट्तका में भी अशभशलखखत की ि◌ायेगी:
(च) तैयार ननशमिनत के प्रत्येक आधान पर ननशमिनत का नाम, इसका वैच नम्बर शुद्ध अल्कोहल अथवा भांग की अन्तविस्ट्तु का प्रनतशत और इसके ववननमा◌िण ठदनाक को दशशित करता हुआ एक लेबबल लगा होगा तथा ननमा◌िण पूरा होने पर उसे थोक में प्रत्येक ि◌ार अथवा बोतल में, जिसमें अन्यून 2273शमलीलीटर होगा, रखा ि◌ायेगा। ऐसी ननशमिनत, अन्यून 30 शम०ली० की बोतलों अथवा आधानों में भरी ि◌ा सकती है। आबकारी आयुक्त, शलखखत आदेश द्वारा ऐसी शति को शशधथल कर सकता है;
(छ) लाइसेंसधारी, आबकारी आयुक्त द्वारा यथा ववठहत रीनत से क्रेताओं के नाम सठहत औषधीय और प्रसाधन ननशमिनतयों के ववननमा◌िण और ववकय लेखाओं का अनुरिण करेगा।
(7) आबकारी आयुक्त, ककसी भी समय लाइसेंस रदद कर सकता है यठद उसके समाधान के अनुसार यह शसद्ध हो ि◌ाता है कक लाइसेंस प्राप्त ववननमा◌िणकता◌ि इकाई अववकृत जस्ट्प्रट और मांग का दुरुपयोग करने में संशलप्त है।

4- अधधकृत जस्ट्प्रंट और भांग के वाविषक कोटा का आवंटन, आबकारी आयुक्त द्वारा इकाई की अपेि◌ा को द्जष्टगत रखते हुये ककया ि◌ायेगा।	वाविषक कोटा
5-(1) उत्पादन प्रकक्रया के पूणि होने पर लाइसेंसधारी औषधीय अथवा प्रसाधन ननशमिनत के प्रत्येक बैच में अल्कोहल सम्बन्धी अन्तविस्ट्तु का प्रनतशत घोववषत करेगा।	अल्कोहल अन्तविस्ट्तु की घोषणा
(2) औषधध और प्रसाधन सामग्री अधधननयम, 1940 के सुसंगत उपबंधों या आबकारी आयुक्त द्वारा यथा ववननठदिष्ट ककसी अन्य सरकारी प्रयोगशाला के अनुसार औषधीय अथवा प्रसाधन ननशमिनत के नमूने ग्रहण ककये ि◌ायेंगे तथा रासायननक परीि◌ण हेतु प्रेववषत ककये ि◌ायेंगे।	
6- इस ननयमावली के ककसी उपबंध अथवा तदधीन ि◌ारी ककये गये अनुदेशों का उल्लंघन ककया ि◌ाना तथा अववकृत जस्ट्प्रट अथवा भांग के स्ट्टॉक में कमी अथवा अधधकता सठहत लाइसेंस शतों का प्रत्येक बार भग ककया ि◌ाना, आबकारी आयुक्त को ननठदिष्ट ककया ि◌ायेगा ि◌ो अधधननयम के सुसंगत उपबन्धों के अनुसार लाइसेंसधारी इकाई के ववरुद्ध समुधचत कायिवाही करेगा।	इस ननयमावली का उल्लघन करने अथवा लाइसेंस के ककसी शति को मंग करने के ववरुद्ध कायिवाही
7-राज्य सरकार समय-समय पर ववननमा◌िण छीि◌न की अनुज्ञेय सीमा ननयत करेगी परन्तु ि◌ब तक अनुज्ञेय छीि◌न का उच्चतर प्रनतशत ननयत नहीं ककया ि◌ाता है, तब तक अनुज्ञेय छीि◌न की अधधकतम सीमा बारह प्रनतशत होगी। भांग की कोई ववननमा◌िण छीि◌न अनुज्ञेय नहीं होगी।	छीि◌न सीमा का ननयत ककया ि◌ाना

8-आबकारी आयुक्त अथवा कलेक्टर अथवा अधधननयम की धारा 48 के अधीन सशक्त आबकारी ववभाग का कोई अधधकारी, समरत युजक्तयुक्त समयों पर ववननमाित‍ा को नोठटस देकर अथवा उसके बबना पररसर में प्रवेश कर सकता है िहां स्ट्विननत अल्कोहल सठहत अल्कोहल और / अथवा मांग से अन्तवविष्ट औषधीय और प्रसाधन ननशमिनतयां, भण्डाररत अथवा ववननशमित की िाती हैं और स्ट्टॉकों, अशभलेखों और लेखाओं का ननरीिण कर सकता है। ऐसा अधधकारी, जस्ट्प्रंट और औषधीय अथवा प्रसाधन ननशमिनतयों सठहत ककसी पदाथि िो ऐसे स्ट्थान पर भण्डाररत हो, का परीिण, उसकी माप या तौल कर सकता है और जस्ट्प्रट, भांग या जस्ट्प्रट और/या भांग से अन्तवविष्ट ननशमिनत को ककसी मात्रा में अशभग्रहीत कर सकता है जिसके संबंध में उसे यह ववश्वास करने का कारण हो कक वह अधधननयम अथवा तद्दीन बनायी गयी ननयमावली के सापेि भण्डाररत या रखी गयी है।	पररसर में प्रवेश करने एवं तलाशी लेने की शजक्त
9-आबकारी आयुक्त, ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण, जियो टैधगंग, प्रमाण पत्र तथा दस्ट्तावेि नवीकरण एवं अपलोडडंग रैक एवं रैक प्रणाली के प्रयोग से सम्बंधधत और इस ननयमावली से उद् भूत होने वाले समस्ट्त अन्य अनुपूरक मामलों हेतु समय समय पर अनुदेश िारी कर सकता है।	अनुदेश िारी करने की शजक्त

आज्ञा से.
कल्पना अवस्ट्थी,
प्रमुख सधचव ।

प्रपत्र वि0म0-48
[नियम 3(5) देखें]

उत्तर प्रदेश औषधीय और प्रसाधन ननशमिनतयों के प्रयोिनाथि अववकृत जस्ट्प्रट भांग तथा अन्य उत्पाद शुल्क योग्य पदाथों को कब्िा में रखने के शलये लाइसेंस ननयमावली, 2019 के अधीन औषधीय और प्रसाधन ननशमिनतयों के शलये अववकृत जस्ट्प्रट भांग तथा अन्य उत्पाद शुल्क योग्य पदाथों को कब्िा में रखने के शलए लाइसेंस हेतु आवेदन-पत्र।

(अप्रयोज्य अिरों और शब्दों को हटा दें)

सेवा में.

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराि।

महोदय,

मैं/हम..ननवासी ....जिला............................ .... का प्राधधकृत प्रनतननधध हूूँ/ हैं, िो उत्तर प्रदेश औषधीय और प्रसाधन ननशमिनतयों के प्रयोिनाथि अववकृत जस्ट्पट, भांग तथा अन्य उत्पाद शुल्क योग्य पदाथों को कब्िा में रखने के शलये लाइ सेंस ननयमावली, 2019 के अधीन अववकृत जस्ट्प्रंट एवं मांग में और अन्य उत्पाद शुल्क आधाररत औषधीय एवं प्रसाधन ननशमिनतयों के प्रयोिनाथि संलग्न है/ संलग्न होना चाहती है।

अतः आप से आग्रह है कक कृपया 31 माचि 20................ को समाप्त होने वाले ववत्तीय वषि के शलये मेरी/हमारी इकाई के पि में अववकृत जस्ट्प्रंट और / अथवा भांग या ककसी उत्पाद शुल्क योग्य पदाथि को कब्िा में रखने के शलये लाइसेंस स्ट्वीकृत करने/ इससे संलग्न लाइसेंस को नवीकृत करने की कृपा करें।

2-मैं/हम एतद्द्वारा उसके साथ संलग्न ताशलका में अपने उस पररसर और इकाई की ववशशजष्टयों की घोषणा करता हूूँ/करते हैं, िहां में/हम अववकृत अल्कोहल / भांग या अन्य उत्पाद शुल्क योग्य पदाथों से अन्तवविष्ट औषधीय और प्रसाधन ननशमिनतयों को ववननशमित और भण्डाररत करता हैं/ करते हैं/ ववननशमित तथा भण्डाररत करना चाहता हूूँ/चाहते हैं।

3-मैं/हम पूवि उजल्लखखत ननयमावली के उपबंधों तथा उपरोक्त लाइसेंस के ननबन्धनों तथा शतों और आबकारी

आयुक्त द्वारा उक्त ननयमावली के अधीन समय समय पर िारी आदेशों और अनुदेशों का भी अनुपालन करने के शलये सहमत हूूँ हैं।

4-मैनें/हमने कोषागार चालान सं... ठदनांक.....................................

द्वारा रु0 5000/- िमा कर ठदया है।

5-मैनें/हमने सभी सुसंगत अशभलेखों सठहत अपने ववननमाणिकताि इकाई का कायिस्थल तथा ऊूँचाई रेखांकन संलग्न कर ठदया है। मैं/ हम, अन्य समस्त सूबनायें और अशभलेख, िैसे और िब मांगे िायेंगे, उपलब्ध करा दूंगा/करा देंगे।

6- मेरे / हमारे पास औषधध और प्रसाधन सामग्री अधधननयम, 1940 के अधीन लाइसेंस संख्या........................ है िो ठदनांक............................. तक वधधमान्य है।

7-मैं/ हम एतद्वारा घोवषत करता हूूँ करते हैं कक उत्तर प्रदेश आबकारी ववभाग द्वारा िारी तथा पूवि में मेरे/हमारे द्वारा धाररत कोई लाइसेंस, अधधननयम और/अथवा ऐसे लाइसेंस की स्वीकृनत को शाशसत करने वाली ननयमावली के उल्लंघन के कारण, न कभी वापस शलया गया है अथवा न कभी ननलजम्बत ककया गया है अथवा न कभी नवीकृत करने से मना ककया गया है और मेरे / हमारे कोई आपराधधक अशभलेख नहीं हैं।

8-मैं/हम एतदद्वारा घोवषत करता हूूँ/करते हैं कक मुझे/हमें ककसी आपराधधक मामलें में दोषशसद्ध नहीं ककया गया है।

9-मैं/हम घोषणा करता हैं/ करते हैं कक मेरे/हमारे सवोत्तम ज्ञान तथा ववश्वास के अनुसार इसमें उपलब्ध करायी गयी सूचना सत्य एवं पूणि हैं।

स्थान...............................

ठदनांक.............................

आवदेक (आवदकों) का/के हस्ताक्षर

परिसि औ इकाई की विशिष्टियां

1 आवेदन करने वाले व्यजक्त या व्यजक्तयों का/के नाम और उसका / उनके पता/पतेः यठद आवेदक कोई फमि हो तब फमि प्रत्येक भागीदार का नाम व पता, और यठद कोई कम्पनी है तब उसका रजिस्ट्रीकृत नाम व पता, ननदेशकों, प्रबन्धकों और प्रबन्ध अशभकताओं का/के नाम और यठद कोई प्रबन्ध ननदेशक है तब ऐसे ननदेशक का नाम व पता,	
2 इकाई का पैन तथा भूस्वाशमत्व का प्रमाण पत्र (सुसंगत दस्तावेिों की प्रमाखणत प्रनतयों सठहत)	
3 स्वाशमत्वधाररयों, भागीदारों / ननदेशकों आठद का आपराधधक इनतहास जिसमें लजम्बत अधवा ववननजश्चत ककये गये गामलों का वववरण (यठद कोई हो) सजम्मशलत है।	
4 उपक्रम में ववननधाननत/अन्तग्रिस्त की िाने वाली प्रस्ताववत पूूँिी की अनुमाननत धनराशशः	
5 उस स्थान तथा स्थल का सुसंगत वववरण सठहत नाम िहां पर भवन या भवन समूह, आवास, ववननमाणिशाला जस्थत / ननशमित ककया िाने वाला/वाले हो/हों;	

टिप्पणी- पररसर एवं स्ट्थल योिना का सुसंगत मानधचत्र तथा स्ट्वाशमत्व का वववरण संलग्न करना आवश्यक है। लाइसेंस नवीकरण के मामले में ननम्नशलखखत वववरण उपलब्ध कराये िायं:- (एक) पररसर का संक्षिप्त वववरण (चौह द्दी सठहत); (दो) ननमाािणशाला के प्रत्येक मुख्य खण्ड अथवा उपखण्ड का वववरण, (तीन) जस्ट्प्रट भण्डार कि, (चार) प्रयोगशाला (पााँच) तैयार ननशमनत भण्डार कि	
6 प्रायोधगक ठदनांक िब से आवेदक अल्कोहल / स्ट्विननत अल्कोहल/भांग/अन्य उत्पाद शुल्क योग्य पदाथों से अन्तवविष्ट औषधीय और प्रसाधन ननशमनतयों का वववनमाािण प्रारम्भ करना चाहता है।	
7 इकाई में स्ट्थावपत/इकाई में स्ट्थावपत ककये िाने वाले टैंकों, पात्रों और अन्य स्ट्थाई उपकरणों तथा मशीनों की संख्या और उनका संपूणि वववरण।	
8 ऐसी अनुमोठदत ननशमनतयों की सूची, और ननशमनतयों की अनुमोठदत संरचना के आधार पर अववकृत जस्ट्प्रट और/अथवा भांग की कुल आवश्यकता सठहत जिन्हें वववनशमित ककया िाना है।	
9 औषधध और प्रसाधन सामग्री अधधननयम् 1940 के अधीन आवेदक द्वारा धाररत लाइसेंस का वववरण।	

ठदनांक 31 माचि 20.......................... को समाप्त होने वाले ववत्तीय वषि में अववकृत जस्ट्प्रंट/भांग तथा अन्य उत्पाद शुल्क योग्य पदाथों की कुल आवश्यकता सठहत ऐसी समस्ट्त ननशमनतयों की सूची, जिनका ठदनांक 31 माचि, 20.................... को समाप्त होने वाले ववत्तीय वषि में इकाई में वववनमाािण ककया िाना आवेदक द्वारा प्रस्ट्तावावत हो और जिनका वपछले ववत्तीय वषि 20..................20................ के दौरान वववनमाािण ककया गया था:-

ननशमनत का नाम	वपछले ववत्तीय वषि 20-..........20.... .... में वववनशमित मात्रा	ठदनांक 31 माचि, 20.......... को समाप्त होने वाले ववत्तीय वषि में वववनशमित की िाने वाली मात्रा	ननशमनत का सूत्र	ननशमनत में अल्कोहल अथवा भांग का औसत प्रनतशत	अववकृत जस्ट्प्रंट/भांग की कुल आवश्यकता	
					स्ट्तम्भ-2 के अनुसार	स्ट्तम्भ-3 के अनुसार
1	2	3	4	5	6	7

स्थान..............................

ठदनांक...........................

आवेदक/आवेदकों का/के हस्ताक्षर

प्रपत्र वि०म०-49

(नियम 3 देखें)

उत्तर प्रदेश औषधीय और प्रसाधन ननशमिनतयों के प्रयोजनार्थ, अववकृत जस्प्रंट, भांग तथा अन्य उत्पाद शुल्क योग्य पदार्थों को कब्जा में रखने के शलये लाइसेंस ननयमावली, 2019 के अधीन औषधीय तथा प्रसाधन ननशमिनतयों के प्रयोजनों पर आधाररत अववकृत जस्प्रट, भांग तथा अन्य उत्पाद शुल्क योग्य पदार्थों को कब्जा में रखने हेतु लाइसेंस।

(अप्रयोज्य अंशों और शब्दों को हटा दें)

उत्तर प्रदेश औषधीय तथा प्रसाधन ननशमिनतयों के प्रयोजनार्थ अववकृत जस्प्रट, भांग तथा अन्य उत्पाद शुल्क योग्य पदार्थों को कब्जा में रखने के शलये लाइसेंस ननयमावली, 2019 में उजल्लखखत ननबन्धनों एवं शतों और तदधीन जारी ककन्हीं आदेशों का अनुपालन करने का वचन देने के पश्चात् श्री / सविश्री...ननवासी.................................. को एतद्वारा.......... में जस्थत उनकी ववननमाणकताि इकाई अर्थात्.................................. के पररसर, जैसा कक उनके आवेदन पत्र ठदनांक...........................में वखणित है, में, उक्त ननयमावली के उपबंधों के अध्यधीन ठदनांक 31माचि, 20......... तक अववकृत जस्प्रट (स्विननत अल्कोहल सठहत) भांग और अन्य उत्पाद शुल्क योग्य पदार्थों को, कब्जा में रखने के शलये प्राधधकृत ककया जाता है।

2-इस लाइ सेंस द्वारा प्रदत्त ववशेषाधधकार मात्र एलोपैधथक, आयुवेठदक (स्विननत अल्कोहल सठहत), होशमयोपैधथक और यूनानी औषधध प्रणाली, स्वाशमत्वाधीन प्रकार की औषधीय तथा समस्त प्रसाधन ननशमिनतयों के मानक भेषि संग्रह ववननशमिनतयों का ववननमाण करने हेतु पररशोधधत जस्प्रंट, भांग तथा अन्य उत्पाद शुल्क योग्य पदार्थों को कब्जा में रखने तक सीशमत है।

3-लाइसेंसधारी के कब्जाधीन अववकृत जस्प्रट और भांग की मात्रा, ककसी एक समय पर क्रमशः............. बल्क लीटर और.................................... ककलोग्राम से अधधक नहीं होगी और उसे एक वषि में.................... बल्क लीटर अववकृत जस्प्रट और...................... ककलोग्राम भांग से अधधक का उपभोग करने की अनुज्ञा नहीं होगी।

4- यठद आवेदन में की गयी कोई घोषणा अथवा दी गयी कोई सूचना शमथ्या पायी जाती है तो यह लाइसेंस, वापस शलया जा सकता है अथवा ननलजम्बत ककया जा सकता है अथवा इसका नवीकरण अस्वीकृत ककया जा सकता है।

<u>निबन्धि और शर्तें</u>

1-लाइसेंसधारी के पास अववकृत जस्प्रट, भांग और अन्य उत्पाद शुल्क योग्य पदार्थों से अन्तवविष्ट औषधीय तथा प्रसाधन ननशमिनतयों के ववननमाण हेतु एक ववधधमान्य औषधध लाइसेंस होना आवश्यक है।2-लाइसेंसधारी, लाइसेंस में उजल्लखखत ननशमिनतयों से शभन्न ककसी ववननशमिती का ववननमाण नहीं करेगा।3-लाइसेंसधारी को समय-समय पर यथा संशोधधत उत्तर प्रदेश औषधीय और प्रसाधन ननशमिनतयों के प्रयोजनार्थ अववकृत जस्प्रट, भाग तथा अन्य उत्पाद शुल्क योग्य पदार्थों को कब्जा में रखने के शलये लाइसेंस ननयमावली, 2019 के उपबंधों का अनुपालन करना होगा।

4- लाइसेंसधारी को समय-समय पर यथा संशोधधत उत्तर प्रदेश औषधीय और प्रसाधन ननशमिनतयों के प्रयोजनार्थ अववकृत जस्प्रट, भांग तथा अन्य उत्पाद शुल्क योग्य पदार्थों को कब्जा में रखने के शलये लाइसेंस ननयमावली, 2019 के अधीन जारी ककये गये आबकारी आयुक्त के आदेशों और अनुदेशों का अनुपालन करना होगा।

5- लाइसेंसधारी, ऐसी ककसी ननशमिनतयों, जिनमें इतनी मात्रा में अल्कोहल हो जो इनके पेय मठदरा के रूप में उपभोग को बढावा देती हो, के ववननमाण में स्वयं संशलप्त नहीं होगा।

6-लाइसेंसधारी अववकृत जस्प्रट, भांग तथा अन्य उत्पाद शुल्क योग्य पदार्थों की प्राजप्त व उपयोग के समस्त अशभलेखों को आबकारी आयुक्त द्वारा ववठहत रीनत से अनुरक्षित करेगा।

स्थान.....................................
ठदनांक......................................

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

1 अप्रैल, 20.............से 31 माचि, 20........... तक के वषि के शलये नवीकृत ककया गया।

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

अनुमोठदत औषधधयों और प्रसाधन ननशमिनतयों एवं अन्य उत्पादों की सूचीः-1.

2.
3.
4.
5.